सं.31011/2/2006-स्था.(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक,
27 जुलाई, 2009

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः अवकाश यात्रा रियायत लेते समय विमान से की जाने वाली यात्रा के विनियमन के संबंध में स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 13-7-2009 के का.ज्ञा.सं. 19024/1/2009-ई IV, का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसने दिनांक 23 नवंबर, 2005 के का.ज्ञा.सं. 7 (2)/संस्था संमन्वय/2005 को संशोधित और दिनांक 24-3-2006 के का.ज्ञा.सं.19024/1ई.IV/2005 को अधिक्रमित किया है व्यय विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विमान यात्रा के सभी मामलों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में, जहां विमान यात्रा का किराया भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है, संबंधित अधिकारी केवल एयर इंडिया से ही यात्रा करेगा। इस संबंध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से परामर्श किया गया कि क्या ये आदेश, अवकाश रियायत के मामलों पर लागू होंगे और अब यह स्पष्ट हो गया है कि ये आदेश अवकाश यात्रा रियायत के मामलों पर भी लागू होंगे।

2. इसे व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 20-7-2009 के आई.डी.सं. 39/डी.एस. (ई.जी.)/2009 के अंतर्गत उनसे परामर्श करके जारी किया जाता है।

ह०/-

(श्रीमती राजबाला सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग